संख्या-39/2025/303/35-4-2025/35-4099/205/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2025

विषय- जनपद अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर का भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में राजकीय पालीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर के भवन निर्माण कार्य हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-21/2020/260/35-4-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा रू0 1753.31 लाख (+जी०एस०टी० की धनराशि नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तद्क्रम में शासनादेश संख्या-31/2021/587/35-4-2021 दिनांक 04.03.2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 263.00 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-89/2022/230/35-4-2022 दिनांक 16.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 852.00 लाख की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-853/2023/2637/35-4099/35-4-2023/205/2023 दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 438.31 लाख, इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 1753.31 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। शासनादेश संख्या-20/2025/1374/35-4-2024/35-4069/205/2023 दिनांक 10 फरवरी, 2025 द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत नये कैम्पस में आवासों का निर्माण, अन्य विकास कार्य एवं मिट्टी भराई तथा जी०एस०टी० की धनराशि (रू० 387.55 लाख) को सम्मिलित करते हुए रु० 3056.94 लाख (जी०एस०टी० सहित, देयता वास्तविकता के आधार पर) की पुनरीक्षित लागत को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के पत्रांक-684/अ0सं0का0/त्व०आ०वि०-उपयोगिता प्रमाण पत्र/2024-25 दिनांक 20.03.2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

3- अतः एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 1140.48 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू० लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित/प्राविधिक लागत (GST सहित)	अद्यतन आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय पालीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर का भवन निर्माण कार्य ।	1753.31 (+GST नियमानुसार देय)	3056.94	1753.31	1140.48

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च, 2021, दिनांक 16 मार्च, 2022, 12 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 10 फरवरी, 2025 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 1140.48 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2025/303(1)/35-4-2025/35-4099/205/2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ० प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव / विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ०प्र० ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण लि०, विश्वेसरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ|
10. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
11. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
14. अपर परियोजना प्रबन्ध्क, उ०प्र० राजीकीय निर्माण निगम लि0, इंजीनियरिंग कालेज इकाई-अम्बेडकर नगर।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।